(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 149/2016 जीसीएमएस नम्बर :– 2016/00032

1. हंसराम
2. मदन
3. मुकेश पुत्रान कालुराम
4. तुलसी देवी पत्नी कालुराम समस्त जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० (फौत)

.........................वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह
2. सत्यवीर
3. रामकुमार
4. सुमेर पुत्रान छैलुराम
5. उम्मेद सिंह पुत्र जसराम
6. धर्मवीर
7. राजबीर पुत्रान भूरसिंह समस्त जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
8. तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

...............प्रतिवादीगण

दावा बाबत– घोषणामक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती, नक्शा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः– दिनांकः– 12/5/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. यह कि ग्राम पालोता स्थित भूमि गत ख० न० 11 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा ख० न० 21 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा प्रति० सं० 1 ला० 7 के पूर्वज छैलुराम, जसाराम, नत्थु, भुरसिंह पुत्रान गुला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ख० न0 12 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा ख० न० 130 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा वादीगण के पूर्वज बख्तावर, कालु पुत्रान तुला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

2. कि बालुराम चौखाराम दोनों सगे भाई थे बालुराम के तुलाराम हुए, तुलाराम के दो पुत्र कालुराम व बख्तावर हुए, बख्तावर अविवाहीत फौत हो गया, कालुराम के वादी सं० 1 ला० 4 वारीसा है तथा चौखाराम के गुलाराम हुआ गुलाराम फौत हो गया तथा इसके चार पुत्र जसाराम, नत्थु छैलु, भुरसिंह चारों फौत हो चुके है जसाराम के एक पुत्र उम्मेद है जो प्रति० सं० 5 है नत्थु राम अविवाहीत फौत हो गया। छैलुराम के वारिस प्रति० सं० 1 ला० 4 है। इनका हिस्सा 1/4 भाग है।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि के हाल ख० न० 28 रकबा 2.18 है0 ख० न० 54 रकबा 4.76 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.76 है0 भूमि प्रति० सं० 1 ला० 4 का हिस्सा 1/4 भाग, प्रति० सं० 5 का हिस्सा 1/4 भाग, व प्रति० सं० 6,7 के पिता भूरसिंह व चाचा नत्थु के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि ख० न0 29 रकबा 1.28 है0 ख० न0 256 रकबा 0.10 है० ख० न0 257 रकबा 2.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.88 है0 वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि में नई पैमाईश के दौरान गत ख० न0 12 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का 1.67 है0 बनता है परन्तु उक्त खसरे का खसरा 29 का रकबा 1.28 है0 कर दिया तथा शेष रकबा गत ख० न० 11 के हाल ख० न0 28 में मिला दिया क्योकि गत ख० न0 11 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा का 1.73 है0 बनता है परन्तु इसका रकबा गत ख० न० 11 का हाल ख० न0 28 का रकबा बढ़ा कर 2.18 है0 कर दिया है इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों की गलती हुई है अतः वादीगण उक्त गलती को सुधरवाने के अधिकारी है अतः वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि में गत नक्शा ट्रेश भी गलत बना दिया गत नक्शा 1955–56 सही दर्ज है परन्तु हाल ख० न० 29 का रकबा हाल ख० न0 28 में मिला दिया अतः हाल ख० न० 29 का रकबा उत्तर की तरफ बढ़ा कर हाल ख० न० 28 में मिलाया जावे तथा हाल ख० न० 28 को छोटा नक्शा किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। अतः वाद पत्र में नक्शा दुरुस्ती के लिए वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती व नक्शा दुरुस्ती के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अतः वाद सावधी पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

7. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान को वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।
8. यह कि वाद निर्धारित न्याय शुल्क पर श्रीमान जी की सेवा में पेश है।
9. यह कि वाद नये राजस्व रिकार्ड के साथ व शपथ पत्र के साथ पेश है।
10. यह कि प्रति० स० 8 भूस्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि ग्राम पालोता में स्थित भूमि हाल ख० न0 28 रकबा 2.18 है0 में 0.44 है० भूमि कम हाल ख० न० 29 रकबा 1.28 है0 ख० न0 258 रकबा 0.10 है० ख० न0 257 रकबा 2.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.88 है0 में ख० न0 28 रकबा 0.44 है0 भूमि का रकबा मिलाकर कुल रकबा 4.32 है0 भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज की जावे।

(ख). कि वाके ग्राम पालोता स्थित भूमि के हाल ख० न० 29 के उत्तरी भाग का हिस्सा ख० न० 28 में बढाकर व ख० न० 28 का दक्षिण भाग कम कर गत नक्शा ट्रेश के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ग). कि प्रति० स० 1 ल0 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ख० न० 28 रकबा 2.18 है0 ख० न0 54 रकबा 2.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.76 है0 भूमि को किसी अन्य को रहन, दान, बेचान या हस्तान्तरित ना करे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री अंकित यादव एडवोकेट की ओर से वकालतनामा/इकबालिया जवाब दिनांक 05.05.2025 को पेश किया गया। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम पालोता स्थित भूमि हाल ख0 न0 28, 29, 258, 257, में वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है

प्रति0 स0 1 ल0 7 की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 1 जिस में दर्ज है स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 2 जिस में दर्ज है स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 3 जिस में दर्ज है स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 4 जिस में दर्ज है स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

5. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 5 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 6 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 7 बाबत क्षेत्राधिकार है जिसके उतर की आवश्यकता नहीं है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 8 बाबत कोर्ट फीस है जिसके उतर की आवश्यकता नहीं है।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 9 जिस भांति दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
10. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 10 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनुतोष वादीगण स्वीकार है वादीगण के अनुतोष अनुसार वादीगण का नाम रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रति0 सं0 1 लगायत 7

1. हरिसिंह
2. सत्यवीर
3. रामकुमार
4. सुमेर पुत्रान छैलुराम
5. उम्मेद सिंह पुत्र जसराम
6. धर्मवीर
7. राजवीर पुत्रान भूरसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण पालोता त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री अंकित यादव एडवोकेट की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। शेष प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, जमाबन्दी सम्वत 2026–2029, जमाबन्दी सम्वत 2044–2047, जमाबन्दी सम्वत 2043–2046, नक्शा सम्वत 1555–1556, मुताबिक इकबालिया जवाब अनुसार, मिलान क्षेत्रफल नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पालोता में स्थित भूमि हाल ख० न0 28 रकबा 2.18 है0 में 0.44 है० भूमि कम हाल ख० न० 29 रकबा 1.28 है0 ख० न0 256 रकबा 0.10 है० ख० न0 257 रकबा 2.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.88 है0 में ख० न0 28 रकबा 0.44 है0 भूमि का रकबा मिलाकर कुल रकबा 4.32 है0 भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर एवं पालोता स्थित भूमि के हाल ख० न० 29 के उतरी भाग का हिस्सा ख० न० 28 में बढाकर व ख० न० 28 का दक्षिण भाग कम कर गत नक्शा ट्रेश के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 12/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 149/2016 **जीसीएमएस नम्बर :– 2016/00032**

हंसराम बनाम हरिसिंह आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती

–ःनिर्णयः–

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री अंकित यादव एड0 की उपस्थिति शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पालोता में स्थित भूमि हाल ख० न0 28 रकबा 2.18 है0 में 0.44 है० भूमि कम हाल ख० न० 29 रकबा 1.28 है0 ख० न0 256 रकबा 0.10 है० ख० न0 257 रकबा 2.50 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.88 है0 में ख० न0 28 रकबा 0.44 है0 भूमि का रकबा मिलाकर कुल रकबा 4.32 है0 भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर एवं पालोता स्थित भूमि के हाल ख० न० 29 के उतरी भाग का हिस्सा ख० न० 28 में बढाकर व ख० न० 28 का दक्षिण भाग कम कर गत नक्शा ट्रेश के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.02 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना